कार्यालय वनमंडलाधिकारी,पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/मा.चि./2022/ 3192 छिन्दवाड़ा दिनांक 27/12/2

प्रति,

संभागीय प्रबंधक

म0प्र0 सड़क विकास निगम लिमि0

छिन्दवाड़ा म0प्र0

विषय :– छिन्दवाड़ा जिले के अंतर्गत शासन की एडीबी–6/7 योजना अंतर्गत स्वीकृत तामिया–जुन्नारदेव मार्ग (राज्यमार्ग क्र–41) कुल लंबाई 28.31 कि.मी. के उन्नयन कार्य में प्रयुक्त होने वाली 8.85 हे0 वन भूमि के संबंध में। (FP/MP/ROAD/125037/2021)

संदर्भ :– 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 6–एमपीआर/016/2022–बीएचओ दिनांक 05.12.2022

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष भू–प्रबंध सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–5/1132/2022/10–11/4191 दिनांक 08.12.2022

–***–

विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि, छिन्दवाड़ा जिले के अंतर्गत शासन की एडीबी–6/7 योजना अंतर्गत स्वीकृत तामिया–जुन्नारदेव मार्ग (राज्यमार्ग क्र–41) कुल लंबाई 28.31 कि.मी. के उन्नयन कार्य में प्रयुक्त होने वाली वन भूमि कक्ष क्रमांक आर.एफ.455 , आर एफ 456 की लंबाई 5.7 कि0मी0 चौड़ाई 10 मी0 रकबा 5.7 हे0 की प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 6–एमपीआर/016/2022–बीएचओ दिनांक 05.12.2022 से प्रदाय की गई है।

स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक A(1) के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रदाय भूमि रकबा 8.85 हे0 हेतु 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि रु. 77,34,761.00 को ई–पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन कैम्पा मद के खाता में जमा करें करें। कैम्पा मद ई–पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन जमा राशि रू. 77,34,761.00 का 72 घंटे बाद बैंक स्टेटमेंट , यू.टी.आर. नंबर की छायाप्रति प्रस्तुत करें। एवं पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रु. 7,73,476.00 को कोषालय के माध्यम से राजस्व मद मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष 0406 वानिकी ओर वन्य जीवन लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियॉ में जमा होने के उपरांत चालान जिला कोषालय द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–5/2022/10–11/66 दिनांक 07.01.2022 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 5–3/2011–एफसी(VOL -I) दिनांक 06.01.2022 के निर्देशानसुार स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक A(4) के अनुसार प्रभावित वन भूमि रकबा 5.70 हे0 के एवज में नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि रु. 70,02,963.00 कैम्पा मद में ई–पोर्टल के माध्यम से जमा

कराते हुये 72 घंटे बाद बैंक स्टेटमेंट , यू.टी.आर. नंबर की छायाप्रति प्रस्तुत करें।

स्वीकृति में अधिरोपित शर्त कमांक A(11) के पालन में रोड साईड प्लांटेशन या बिगड़े वन भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाना है। इस हेतु वनपरिक्षेत्राधिकारी तामिया से संपर्क स्थापित कर मौका स्थल में जाकर स्थल चयन करते हुये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करायें तत्पश्चात् निर्धारित की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट की राशि की मांग आपसे पृथक से की जावेगी।

उपरोक्त प्रकरण में राशि जमा होने के उपरांत दी गई स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र एवं अभिलेखों के इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि अंतिम चरण की स्वीकृति हेतु शासन की ओर लेख किया जावें।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा 27/12

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि/2022/3193 छिंदवाड़ा, दिनांक/

प्रतिलिपि :— (1) उपवनमंडलाधिकारी तामिया एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी तामिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया स्वीकृति में अधिरोपित शर्त कमांक A(11) के पालन में रोड साईड प्लांटेशन या बिगड़े वन भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाना है। इस हेतु आवेदक विभाग से संपर्क स्थापित कर मौका स्थल में जाकर स्थल चयन करते हुये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें ताकिय राशि की मांग आवेदक विभाग से की जा सकें।

(2) वनपरिक्षेत्राधिकारी जामई सा0 वनपरिक्षेत्र की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

Shri Soni ji
28/12/22

M.P. Road Development Corp. Chhindwara
1065 Recived Date 28/12/22

Dfo_West//Shoaib//cover 2022